समाचार

निगम क्षेत्र में 169 कोरोना पाजिटिव होम आईसोलेट

(कोसाबाड़ी जोन मे होम आईसोलेट मरीजों की संख्या ज्यादा)

कोरबा 16 सितम्बर 2020 –बिना लक्षण या कम लक्षण वाले कोविड–19 के मरीजों को अब होम आईसोलेशन की सुविधा दी जा रही है। आज 16 सितम्बर तक नगर निगम कोरबा क्षेत्र में 169 कोरोना पाजिटिव मरीजों को होम आईसोलेट किया गया है, इनमें निगम के 08 जोनों में से कोसाबाड़ी जोन मे होम आईसोलेशन के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिन क्षेत्र में होम आईसोलेशन मरीज ज्यादा हैं, वहां पर लोगों को ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है।

छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार कोविड–19 के बिना लक्षण एवं कम लक्षण वाले मरीजों को होम आईसोलेशन पर रखा जा रहा है। होम आईसोलेशन की अनुमति देने के पूर्व मरीज के होम आईसोलेशन की पात्रता के संबंध में प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित शर्तो की पूर्ति होने पर ही मरीज को होम आईसोलेट कराया जा रहा है। नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत सभी 08 जोन में आज 16 सितम्बर तक कुल 169 कोविड–19 मरीजों को होम आईसोलेशन पर रखा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसाबाड़ी जोन में 57, रविशंकर शुक्ल जोन में 14, टी.पी.नगर जोन में 15, कोरबा जोन में 24, बालको जोन में 26, दर्री जोन में 18, बांकीमोंगरा जोन में 07 एवं सर्वमंगला जोन में 08 बिना लक्षण एवं कम लक्षण वाले कोविड–19 के मरीज होम आईसोलेशन पर है। जिन क्षेत्रों में ज्यादा मरीज प्राप्त हो रहे हैं तथा ज्यादा संख्या में होम आईसोलेशन पर हैं, उन क्षेत्रों में ज्यादा सतर्कता की आवश्यकता है। निगम प्रशासन द्वारा आमजन से आग्रह किया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में होम आईसोलेशन पर रह रहे कोविड–19 के मरीजों का कोविड–19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुए मदद करें, घबराएं नहीं, किन्तु अनिवार्य रूप से सावधानियां बरतें।

आईसोलेट व्यक्ति द्वारा नियम उल्लंघन पर दें सूचना– निगम द्वारा आमनागरिकों से कहा गया है कि होम आईसोलेशन पर रखे गए व्यक्ति द्वारा यदि निर्धारित शर्तो व नियमों का उल्लंघन किया जाता है, आईसोलेट व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य यदि घर के बाहर निकल रहे हैं तो इस प्रकार की उनकी किसी गतिविधि की सूचना निगम को दें। कोरबा एवं टी.पी.नगर जोन के अंतर्गत यह सूचना 07759–222820, कोसाबाड़ी एवं पं. रविशंकर शुक्ल जोन के अंतर्गत यह सूचना फोन नम्बर 07759–222821, बालको व दर्री जोन के अंतर्गत यह सूचना फोन नम्बर 07759–222822 एवं बांकीमोंगरा व सर्वमंगला जोन के अंतर्गत यह सूचना 07759–222823 पर दी जा सकती है।